न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 374/2025

कर्णपाल सैनी पुत्र स्व. श्री श्योराम सैनी ग्राम सैनीपुरा पोस्ट बजावा सूरो का वाया मण्ड्रेला तहसील चिड़ाव उपतहसील मण्ड्रेला जिला झुंझुनू

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) झुंझुनू।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 29.09.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 10.09.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 374/2025 पर दिनांक 10.09.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) झुंझुनू के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/4188–89 दिनांक 10.09.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) झुंझुनू ने पत्रांक एफ.16(4)(5)न्याय/सू.अ./2025/1193 दिनांक 29.09.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्राप्त हुआ था। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ16(4)(5)न्याय/सू.अ./2025/205 दिनांक 12.06.2025 के द्वारा नायब तहसीलदार मण्ड्रेला को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिया गया है। उक्त संबंध में नायब तहसीलदार मण्ड्रेला ने अपने पत्र क्रमांक 298–300 दिनांक 15.07.2025 के द्वारा प्रतिलिपि शुल्क जरिये पोस्टल ऑर्डर तहसीलदार चिड़ावा के नाम से तहसील चिड़ावा में 850/– रूपये जमा करवाने के लिए अपीलार्थी को पत्र लिखा। अपीलार्थी द्वारा प्रतिलिपि शुल्क 850/– रूपये जमा करवाने के बाद नायब तहसीलदार मण्ड्रेला ने अपने पत्र क्रमांक 337–339 दिनांक 27.08.2025 के द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित। सूचना नहीं मिलना जाहिर किया तथा सूचना दिलवाये जाने का निवेदन किया।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में प्राप्त होने पर अपीलार्थी का आवेदन नायब तहसीलदार मण्ड्रेला को अन्तरित किया गया था। बाद में नायब तहसीलदार मण्ड्रेला द्वारा प्रतिलिपि शुल्क 850/– रूपये जमा करवाने हेतु अपीलार्थी को लिखा गया। अपीलार्थी ने उक्त राशि तहसील कार्यालय चिड़ावा में जमा करवाई जाने पर नायब तहसीलदार मण्ड्रेला ने अपने पत्रांक 337–339 दिनांक 27.08.2025 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी का सूचना भिजवाया जाना बताया गया है। अपीलार्थी ने उक्त पत्रांक 337–339 दिनांक 27.08.2025 उसको नहीं मिलना जाहिर किया है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर लोक सूचना अधिकारी (नायब तहसीलदार मण्ड्रेला) को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्रांक 337–339 दिनांक 27.08.2025 की सूचना अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करावाया जाना सूनिश्चित करें।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 29.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनू

जिला कलक्टर झुन्झुनूं